

## ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण : विकसित भारत @2047 की ओर एक कदम समीर कुमार गुप्ता<sup>1</sup>

<sup>1</sup>सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) भारतीय महाविद्यालय फर्रुखाबाद उ०प्र०

Received: 25 November 2025 Accepted & Reviewed: 28 November 2025, Published: 30 November 2025

### Abstract

यह शोध पत्र भारत के ग्रामीण समाज में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया को विकसित भारत @2047 की परिकल्पना से जोड़ते हुए विश्लेषित करता है। अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि सरकारी योजनाएँ – विशेष रूप से दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जन-धन योजना, एवं स्वयं सहायता समूह (SHG) – ग्रामीण महिलाओं के जीवन में किस प्रकार आर्थिक, सामाजिक और डिजिटल परिवर्तन ला रही हैं। शोध का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद को चुना गया, जोकि कृषि प्रधान एवं महिला समूह सक्रियता के दृष्टिकोण से उपयुक्त है। अध्ययन हेतु तीन सौ महिलाओं का नमूना लिया गया, जिसमें स्वयं सहायता समूह सदस्यों, मुद्रा योजना लाभार्थियों और गैर-लाभार्थी महिलाओं को शामिल किया गया। डेटा संग्रहण के लिए प्रश्नावली, साक्षात्कार और फोकस ग्रुप चर्चा का प्रयोग किया गया। अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि स्वयं सहायता समूहों एवं सरकारी योजनाओं से जुड़ी महिलाओं की औसत मासिक आय में 120 से 140 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। 87 प्रतिशत महिलाओं के पास अब बैंक खाता है और 68 प्रतिशत महिलाएं डिजिटल भुगतान माध्यमों का प्रयोग करती हैं। आर्थिक सशक्तिकरण ने महिलाओं की निर्णय-सत्ता, आत्मविश्वास, सामाजिक पहचान और डिजिटल साक्षरता को भी सुदृढ़ किया है। वे अब न केवल परिवार की आर्थिक धुरी बनी हैं बल्कि सामुदायिक नेतृत्व में भी सक्रिय हो रही हैं। हालाँकि, बाज़ार पहुँच की कमी, तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव, और सामाजिक रूढ़ियाँ अभी भी प्रमुख चुनौतियाँ हैं। शोध में सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर “महिला उद्यमिता विकास केंद्र” स्थापित किए जाएँ, स्वयं सहायता समूह उत्पादों को ब्रांडिंग सहायता मिले, और डिजिटल प्रशिक्षण को पंचायत स्तर तक पहुँचाया जाए। अंततः यह शोध स्पष्ट करता है कि ग्रामीण महिला सशक्तिकरण केवल कल्याणकारी नीति नहीं, बल्कि विकास की शर्त है। यदि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना चाहता है, तो उसे ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना होगा क्योंकि सशक्त महिला ही आत्मनिर्भर भारत की वास्तविक आधारशिला है।

**मुख्य शब्द :** ग्रामीण महिला सशक्तिकरण, आर्थिक स्वतंत्रता, दीनदयाल अंत्योदय योजना, स्वयं सहायता समूह, डिजिटल समावेशन, ग्रामीण विकास, विकसित भारत @2047, सामाजिक परिवर्तन, आत्मनिर्भर भारत, महिला उद्यमिता।

### Introduction

भारत सदैव से एक कृषि प्रधान राष्ट्र रहा है जिसकी लगभग दो-तिहाई जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण समाज की आत्मा उसके श्रमशील जनशक्ति में निहित है, और इस श्रमशील वर्ग का एक अनिवार्य अंग है—ग्रामीण महिला। भारतीय ग्रामीण महिला केवल गृहिणी नहीं, बल्कि कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सूक्ष्म उद्यम, परिवार प्रबंधन और सामाजिक ताने-बाने की सशक्त धुरी रही है। परंतु यदि

ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यह वर्ग सदियों से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक दृष्टि से उपेक्षित रहा है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय नीति-निर्माताओं ने महिला सशक्तिकरण को राष्ट्रीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार माना। संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में समानता, सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता का उल्लेख इसी भावना का परिचायक है। आज जब 21वीं सदी का भारत "विकसित भारत @2047" की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में अग्रसर है, तब यह आवश्यक है कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए, ताकि वे राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा में समान रूप से सहभागी बन सकें।

ग्रामीण महिला का आर्थिक सशक्तिकरण केवल परिवार या समुदाय के लिए ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए भी आवश्यक है। जब महिला आर्थिक रूप से स्वावलंबी होती है, तो उसका निर्णय लेने का अधिकार बढ़ता है, परिवार में संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक निवेश होता है, तथा समाज में सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होती है।

**साहित्य समीक्षा-** ग्रामीण भारत में महिलाओं की भूमिका सदियों से कृषि, पारिवारिक अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन की आधारशिला रही है। किंतु परंपरागत पितृसत्तात्मक संरचना, संसाधनों पर सीमित नियंत्रण, और आर्थिक अवसरों की कमी ने उनकी संभावनाओं को सीमित किया। हाल के दशकों में सरकार, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को ग्रामीण विकास की कुंजी के रूप में स्वीकार किया गया है।

अमर्त्य सेन (1999) ने "Development as Freedom" में यह प्रतिपादित किया कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सामाजिक स्वतंत्रता और विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। उनका तर्क है कि यदि महिलाओं को आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण मिलता है तो वे परिवार और समाज के निर्णयों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाती हैं।<sup>19</sup>

विश्व बैंक (2018) की रिपोर्ट "Women and Rural Economy in South Asia" में यह उल्लेख किया गया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी के बावजूद उनकी आय, श्रम अवसर और वित्तीय पहुँच अभी भी पुरुषों से काफी कम है। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।<sup>20</sup>

नाबार्ड (NABARD- 2020) द्वारा किए गए अध्ययन "SHG-Bank Linkage Programme and Rural Empowerment" के अनुसार, महिला स्वयं सहायता समूहों ने न केवल महिलाओं को ऋण सुविधा प्रदान की बल्कि उनमें बचत की प्रवृत्ति, सामुदायिक सहयोग और आत्मविश्वास भी विकसित किया।<sup>21</sup>

मिश्रा एवं सिंह (2019) ने अपने अध्ययन में यह दर्शाया कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM) ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन किया है। किंतु तकनीकी साक्षरता और बाजार तक पहुँच की कमी अभी भी उनकी प्रगति में बाधक है।<sup>22</sup>

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP, 2022) की रिपोर्ट "Gender Equality and Sustainable Livelihood" के अनुसार, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण सतत विकास लक्ष्य-5 (SDG-5) की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और वित्तीय समावेशन से ग्रामीण महिलाएँ वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ सकती हैं।<sup>23</sup>

शर्मा एवं वर्मा (2021) ने "Impact of Self-Help Groups on Women's Economic Empowerment" शीर्षक अध्ययन में बताया कि स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाएँ सामाजिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर और निर्णय-सक्षम बनती जा रही हैं। उन्होंने पाया कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 75 प्रतिशत महिलाएँ किसी न किसी आय-सृजन गतिविधि में संलग्न हैं।<sup>24</sup>

नीति आयोग (2022) की रिपोर्ट "Women Empowerment and Inclusive Growth" में कहा गया है कि यदि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो महिला श्रम शक्ति की भागीदारी (Female Labour Force Participation Rate) को 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत तक ले जाना आवश्यक है।<sup>अपप</sup>

उपरोक्त साहित्यों की समीक्षा से स्पष्ट होते हैं कि ग्रामीण महिलाएँ भारत की अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग हैं, किंतु संसाधनों और निर्णय प्रक्रिया पर उनका अधिकार सीमित है। सरकारी योजनाएँ जैसे डीएवाई-एनआरएलएम, मुद्रा योजना, जन-धन योजना, और एसएचजी आंदोलन ने ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया है। वित्तीय समावेशन, डिजिटल साक्षरता और उद्यमिता प्रशिक्षण महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रमुख उपकरण सिद्ध हुए हैं। परन्तु सामाजिक रूढ़ियाँ, शिक्षा की कमी, और तकनीकी पहुँच का अभाव अभी भी ग्रामीण महिलाओं की प्रगति को बाधित करते हैं।

### शोध-अंतर

पूर्ववर्ती साहित्य के विश्लेषण से निम्न शोध-अंतर स्पष्ट होते हैं-

➤ अधिकांश अध्ययन राष्ट्रीय या प्रांतीय स्तर पर केंद्रित हैं; जिला-स्तरीय (फर्रुखाबाद जैसे क्षेत्रीय) अध्ययन अपेक्षाकृत सीमित हैं।

➤ "विकसित भारत @2047" की परिकल्पना से जुड़ा कोई भी समग्र अध्ययन, जो सरकारी योजनाओं को दीर्घकालिक राष्ट्रीय दृष्टि से जोड़े, अभी उपलब्ध नहीं है।

➤ डीएवाई-एनआरएलएम जैसी योजनाओं की मूल्यांकनात्मक समीक्षा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में बहुत कम की गई है।

अतः यह साहित्य समीक्षा इस शोध की आवश्यकता और प्रासंगिकता को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करती है। वर्तमान अध्ययन न केवल ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि किस प्रकार आर्थिक सशक्तिकरण विकसित भारत @2047 की दिशा में एक निर्णायक कदम सिद्ध हो सकता है। इस शोध से प्राप्त निष्कर्ष नीति-निर्माताओं, सामाजिक संगठनों और शैक्षणिक जगत के लिए उपयोगी होंगे।

**शोध का औचित्य-** भारत सरकार द्वारा वर्ष 2047 तक देश को "विकसित भारत" के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि समाज का प्रत्येक वर्ग समान रूप से प्रगति की प्रक्रिया में सम्मिलित हो। ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अधिकांश उत्पादन और श्रमशक्ति महिलाओं के प्रयासों पर निर्भर है।

इस शोध के माध्यम से यह समझना आवश्यक है कि आर्थिक सशक्तिकरण की अवधारणा ग्रामीण महिलाओं के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन ला रही है, किन नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है, तथा यह प्रक्रिया "विकसित भारत @2047" की परिकल्पना को किस प्रकार सशक्त कर सकती है।

**शोध के उद्देश्य-** इस शोध के प्रमुख उद्देश्य हैं:

- ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।
- भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का विश्लेषण करना, जो ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास हेतु कार्यरत हैं।
- ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में आने वाली प्रमुख बाधाओं का विश्लेषण करना।
- विकसित भारत @2047 की दिशा में ग्रामीण महिलाओं की संभावित भूमिका को रेखांकित करना।

**परिकल्पना-** इस शोधपत्र के उद्देश्यों के परीक्षण के लिए निम्नलिखित परिकल्पना का परीक्षण किया जाना है:

➤ ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का सीधा संबंध उनके सामाजिक एवं शैक्षणिक सशक्तिकरण से है।

➤ स्वयं सहायता समूहों तथा सरकारी योजनाओं में भागीदारी से महिलाओं की आय, आत्मविश्वास एवं निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है।

➤ यदि ग्रामीण महिलाओं को समुचित संसाधन, प्रशिक्षण एवं वित्तीय पहुँच प्राप्त हो, तो वे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाली निर्णायक शक्ति बन सकती हैं।

### सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य –

**सशक्तिकरण की अवधारणा**— ‘सशक्तिकरण’ शब्द का आशय है – व्यक्तियों या समूहों को निर्णय लेने, संसाधनों के उपयोग, और सामाजिक-आर्थिक जीवन में भागीदारी के अधिकार और क्षमता प्रदान करना। विश्व बैंक के अनुसार, “सशक्तिकरण का अर्थ है—व्यक्तियों को उन मुद्दों पर नियंत्रण प्राप्त करना जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं।” अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘Development as Freedom’ (1999) में कहा कि “विकास का वास्तविक अर्थ व्यक्ति की क्षमताओं (Capabilities) में वृद्धि करना है।” इस दृष्टिकोण से, महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य केवल आय अर्जन तक सीमित नहीं, बल्कि निर्णय-निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा तक विस्तृत है।

**आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ**— आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं को स्वतंत्र आर्थिक निर्णय लेने, आय अर्जित करने, संपत्ति पर अधिकार रखने, और वित्तीय संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। जब महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं, तो वे न केवल अपने परिवार की स्थिति सुधारती हैं बल्कि समाज में लैंगिक असमानता को भी घटाती हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने आर्थिक सशक्तिकरण को सतत विकास लक्ष्यों (SDG-5) का अभिन्न अंग माना है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को समान अवसर, समान वेतन, वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता और उद्यमिता के प्रोत्साहन की बात कही गई है।

**महिला सशक्तिकरण के प्रमुख घटक**— महिला सशक्तिकरण के प्रमुख घटक हैं—

➤ **शैक्षणिक सशक्तिकरण** : शिक्षा, महिला के विचार, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का मूल है।

➤ **सामाजिक सशक्तिकरण** : सामाजिक मान्यताओं और रूढ़ियों को तोड़कर समानता की भावना का प्रसार।

➤ **राजनीतिक सशक्तिकरण** : निर्णय-निर्माण और शासन व्यवस्था में भागीदारी।

➤ **आर्थिक सशक्तिकरण** : रोजगार, उद्यमिता और वित्तीय स्वतंत्रता।

➤ **प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण** : डिजिटल साक्षरता और सूचना तक पहुँच।

इन सभी घटकों का सम्मिलन ही वास्तविक सशक्तिकरण की दिशा में मार्ग प्रशस्त करता है।

**भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण**— गांधीजी ने कहा था कि “यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, किंतु यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं।”

संविधान में अनुच्छेद 14, 15 और 16 के माध्यम से समानता का अधिकार, तथा अनुच्छेद 39 (क) और (घ) में समान अवसर और समान वेतन का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था में 73वें संशोधन के तहत महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण प्राप्त है, जिससे राजनीतिक स्तर पर उनकी भागीदारी बढ़ी है।

आर्थिक दृष्टि से, महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हेतु सरकार ने अनेक योजनाएँ प्रारंभ की हैं—जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्टार्टअप इंडिया, और डिजिटल साक्षरता अभियान। इन योजनाओं का लक्ष्य महिलाओं को न केवल सहायता देना बल्कि उन्हें ‘रोजगार सृजनकर्ता’ बनाना है।

इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है कि आर्थिक सशक्तिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें वित्तीय स्वतंत्रता, शिक्षा, कौशल विकास, सामाजिक मान्यता और नीति समर्थन सभी आवश्यक हैं। विकसित भारत @2047 की दिशा में अग्रसर होते हुए, यह आवश्यक है कि ग्रामीण महिलाओं को केवल "लाभार्थी" के रूप में नहीं बल्कि "परिवर्तनकारी एजेंट" के रूप में देखा जाए। उनके आर्थिक सशक्तिकरण से न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के विकास में एक नई ऊर्जा का संचार होगा।

ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण भारत के विकास के लिए अनिवार्य शर्त है। जब महिला सशक्त होती है तो परिवार, समाज और राष्ट्र—तीनों सशक्त होते हैं। विकसित भारत @2047 की संकल्पना तभी साकार हो सकती है जब आधी आबादी को समान अवसर, सम्मान और संसाधनों तक पूर्ण पहुँच प्राप्त हो।

## द्वितीय भाग

### सरकारी नीतियाँ, कार्यक्रम एवं ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति—

भारत के विकास का आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, और इस अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं—ग्रामीण महिलाएँ। भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अनेक योजनाएँ और कार्यक्रम प्रारंभ किए। विशेष रूप से 1990 के दशक के बाद महिला सशक्तिकरण को विकास की मुख्यधारा में शामिल किया गया। उदारीकरण, वैश्वीकरण और सूचना क्रांति के युग में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सरकारी नीतियाँ धीरे-धीरे "कल्याणकारी दृष्टिकोण" से आगे बढ़कर "सशक्तिकरण आधारित दृष्टिकोण" की ओर परिवर्तित हुईं।

आज भारत "विकसित भारत @2047" की दिशा में अग्रसर है—ऐसे में ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण योजनाएँ न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में बल्कि आर्थिक विकास की सतत गति के लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं।

### प्रमुख सरकारी नीतियाँ एवं कार्यक्रम

#### दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)

यह योजना 2011 में प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों—विशेषकर महिलाओं—को आत्मनिर्भर बनाना है। इसकी मुख्य विशेषताएँ हैं:

- प्रत्येक ग्रामीण परिवार को संगठित कर महिला स्वयं सहायता समूह से जोड़ना।
- सामुदायिक संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं को उद्यमिता प्रशिक्षण देना।
- "महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना" के अंतर्गत कृषि से जुड़ी महिलाओं को तकनीकी सहायता।
- बैंक लिंकिंग और डिजिटल भुगतान की सुविधा।

आर्थिक समीक्षा 2024–25 के अनुसार अब तक भारत के 745 जिलों के 7143 ब्लकों में 10.05 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाएँ स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुकी हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 90.90 लाख समूह सक्रिय हैं, जिन्होंने न केवल आय वृद्धि की दिशा में कार्य किया है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की मिसाल भी प्रस्तुत की है।<sup>अपपप</sup>

**प्रधानमंत्री मुद्रा योजना—** माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 में प्रारंभ हुई यह योजना महिला उद्यमियों को लघु और सूक्ष्म व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके चार स्तर हैं—शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। विशेष प्रावधानों के तहत महिला लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है। अब तक कुल मुद्रा ऋण का लगभग 68 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं को मिला है जिससे लाखों महिलाओं ने खुद का छोटा व्यवसाय शुरू किया—जैसे ब्यूटी पार्लर, बुटीक, सिलाई केंद्र, पशुपालन, डेयरी, इत्यादि। इस योजना ने "रोजगार खोजने वाली महिला" से "रोजगार देने वाली महिला" की दिशा में बदलाव किया है।

**स्टार्टअप इंडिया एवं स्टैंडअप इंडिया योजना**— 16 जनवरी 2016 से प्रारंभ की गई स्टार्टअप इंडिया योजना भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक मजबूत पारिस्थिति तंत्र का निर्माण करना है।

स्टैंडअप इंडिया योजना 05 अप्रैल 2016 को प्रारंभ की गई थी जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को नए उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण प्रदान करके सशक्त बनाना है। इसके अंतर्गत ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का ऋण प्रदान किया जाता है।

इन योजनाओं ने विशेष रूप से शहरी-ग्रामीण सीमांत क्षेत्रों में महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित किया है।

**बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ योजना**— महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित 22 जनवरी 2015 में प्रारंभ यह अभियान केवल कन्या भ्रूण हत्या रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना ने जागरूकता और शिक्षा दर बढ़ाने में योगदान दिया है।

**प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)**— ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छ ईंधन (एलपीजी गैस) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 01 मई 2016 में यह योजना प्रारंभ की गई। इससे न केवल महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ, बल्कि उनके समय की बचत और उत्पादकता में भी वृद्धि हुई, जिससे वे अन्य आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हो सकीं।

**महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP)**— यह परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक उपयोजना है जिसे डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत वर्ष 2010-11 में शुरू किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य महिला किसानों को कृषि प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक, जैविक खेती, और उत्पाद विपणन की जानकारी दे कर उन्हें सशक्त बनाना है। इस परियोजना ने महिलाओं को "कृषक" के रूप में पहचान दिलाई है, जिससे वे कृषि निर्णयों में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाने लगी हैं।

**प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA)**— डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल उपकरणों के प्रयोग, ऑनलाइन बैंकिंग, और ई-गवर्नेंस सेवाओं का उपयोग सिखाने के लिए प्रारंभ किया गया। अब महिलाएँ स्वयं मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन लेनदेन, ई-शॉपिंग, और डिजिटल मार्केटिंग में सक्रिय भाग ले रही हैं, जिससे उनका आर्थिक क्षेत्र विस्तृत हुआ है।

**स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की भूमिका**— स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। यह "सहयोगात्मक विकास" की उस अवधारणा पर आधारित है जहाँ महिलाएँ सामूहिक बचत, ऋण सुविधा, उद्यमिता और परस्पर सहयोग के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करती हैं। समूह के सदस्य मिलकर व्यवसाय जैसे—पापड़, अगरबत्ती, डेयरी, हस्तशिल्प, सब्जी उत्पादन आदि में कार्यरत हैं। समूह बैठकों के माध्यम से महिलाएँ स्वच्छता, शिक्षा, बालिका अधिकार, और स्वास्थ्य के प्रति सजग हुई हैं। ग्रामीण महिलाओं के लिए एसएचजी केवल वित्तीय संस्था नहीं बल्कि एक "सामाजिक मंच" बन गया है जहाँ वे अपने अनुभव साझा करती हैं, नेतृत्व क्षमता विकसित करती हैं और सामाजिक निर्णयों में भाग लेती हैं।

**ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति**

1. **शिक्षा और कौशल विकास**— भारत में ग्रामीण महिला साक्षरता दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 2011 में जहाँ यह दर लगभग 65.46 प्रतिशत थी, वहीं 2021 तक यह 91.95 प्रतिशत के करीब पहुँच गई है।

कौशल विकास कार्यक्रम जैसे—प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और रोजगार से जुड़ी प्रशिक्षण योजनाओं ने महिलाओं को सिलाई, कंप्यूटर, ब्यूटीशियन, डेयरी प्रबंधन, और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया है।

2. **रोजगार और उद्यमिता**— ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में वृद्धि हुई है। कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, बुनाई, और लघु उद्योगों में उनकी उपस्थिति मजबूत हुई है। हालाँकि, अभी भी अधिकांश महिलाएँ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं जहाँ सुरक्षा, न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएँ सीमित हैं।

3. **वित्तीय समावेशन**— जन-धन योजना और डिजिटल बैंकिंग ने महिलाओं की वित्तीय पहुँच को सरल बनाया है। अब अधिकांश महिलाएँ स्वयं बैंक खाता रखती हैं, और डिजिटल भुगतान प्रणालियों का प्रयोग करती हैं।

4. **सामाजिक स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता**— एसएचजी और पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी ने उनके आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। ग्रामीण परिवारों में अब महिलाओं की राय को महत्व मिलने लगा है—चाहे वह बच्चों की शिक्षा हो, खेती में निवेश हो या घर की आर्थिक योजना।

**प्रमुख चुनौतियाँ**— विभिन्न सरकारी कार्यक्रम और योजनाओं के ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण से निश्चित रूप से बड़ी भूमिका निभाई है परन्तु आज ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:

1. **शिक्षा और कौशल की कमी** : यद्यपि स्थिति में सुधार हुआ है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा अभी भी सीमित है।

2. **सामाजिक रूढ़ियाँ** : पितृसत्तात्मक सोच, बाल विवाह, और महिलाओं की स्वतंत्रता पर सामाजिक नियंत्रण अब भी मौजूद है।

3. **वित्तीय निर्भरता** : बैंक ऋण प्राप्त करने में अनेक महिलाएँ अभी भी औपचारिक प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं।

4. **मार्केट एक्सेस की कमी** : उत्पाद तैयार होने के बाद बाजार तक पहुँच और विपणन में कठिनाई।

5. **तकनीकी जानकारी का अभाव** : डिजिटल साक्षरता अभियान के बावजूद तकनीकी उपयोग में बाधाएँ हैं।

**सरकारी प्रयासों का प्रभाव विश्लेषण**— सरकारी नीतियों ने महिलाओं के जीवन में बहुआयामी परिवर्तन लाए हैं:

1. **आर्थिक स्तर पर** : आय में वृद्धि और स्वरोजगार के अवसर बढ़े हैं।

2. **सामाजिक स्तर पर** : महिलाओं की समाज में स्वीकार्यता और सम्मान बढ़ा है।

3. **राजनीतिक स्तर पर** : पंचायतों में महिलाएँ निर्णय लेने की भूमिका निभा रही हैं।

4. **मानसिक स्तर पर** : आत्मविश्वास, स्वाभिमान और नेतृत्व भावना में वृद्धि हुई है।

**विकसित भारत @2047 की दिशा में योगदान**— भारत सरकार की अमृत काल दृष्टि के अनुसार, वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। इस दिशा में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका निम्न प्रकार से उभरती है:

1. **आर्थिक इंजन के रूप में** : ग्रामीण महिला उद्यमिता और कृषि आधारित उद्योगों को गति दे रही हैं।

2. **सामाजिक परिवर्तनकर्ता के रूप में** : शिक्षित एवं आत्मनिर्भर महिला समाज में प्रगतिशील दृष्टिकोण ला रही हैं।

3. *पर्यावरण संरक्षक के रूप में*: महिलाएँ जल संरक्षण, जैविक खेती, और स्वच्छता अभियानों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

भारत सरकार की योजनाएँ ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई हैं। डीएवाई-एनआरएलएम, मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया, और एसएचजी आंदोलन ने महिलाओं को आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर किया है। हालाँकि, चुनौतियाँ अब भी शेष हैं—शिक्षा, बाजार पहुँच, और लैंगिक असमानता जैसी बाधाओं को दूर किए बिना आर्थिक सशक्तिकरण पूर्ण नहीं माना जा सकता। यदि नीति-निर्माण में "नीचे से ऊपर" दृष्टिकोण अपनाया जाए, जिसमें ग्रामीण महिलाओं की वास्तविक आवश्यकताओं और स्थानीय संदर्भों को महत्व दिया जाए, तो "विकसित भारत @2047" की परिकल्पना को साकार करना संभव होगा।

### तृतीय भाग

#### क्षेत्र अध्ययन, डेटा विश्लेषण और निष्कर्ष

#### (फर्रुखाबाद जनपद के विशेष संदर्भ में)

ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का आकलन करने के लिए किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का चयन करना आवश्यक होता है, ताकि नीतियों एवं योजनाओं के वास्तविक प्रभाव को समझा जा सके। इसी उद्देश्य से यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में किया गया है, जो गंगा-यमुना दोआब के उपजाऊ क्षेत्र में स्थित है।

यह जनपद कृषि प्रधान है और यहाँ की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। महिलाएँ खेती, पशुपालन, घरेलू उद्योग, और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से परिवार की आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

फर्रुखाबाद जिला न केवल कृषि उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ डीएवाई-एनआरएलएम, मुद्रा योजना, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, और एसएचजी आंदोलन के प्रभावी क्रियान्वयन से महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है।

**अध्ययन का उद्देश्य**— इस क्षेत्र अध्ययन का उद्देश्य यह जानना है कि फर्रुखाबाद जिले में ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सरकारी योजनाओं और स्वयं सहायता समूहों की भूमिका कितनी प्रभावी रही है। साथ ही, यह भी समझना कि महिलाएँ किन-किन चुनौतियों का सामना कर रही हैं और सशक्तिकरण की प्रक्रिया किस स्तर तक पहुँची है।

#### अध्ययन की रूपरेखा —

##### (क) अध्ययन क्षेत्र का चयन

अध्ययन हेतु फर्रुखाबाद जनपद की तीन विकास खंडों का चयन किया गया— कमालगंज, कायमगंज, और मोहम्मदाबाद। इन तीनों खंडों में महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्रियता तथा ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक देखा गया है।

##### (ख) नमूना चयन

अध्ययन के लिए 300 ग्रामीण महिलाओं का नमूना चुना गया। इसमें तीनों ब्लॉकों से 100-100 महिलाओं को शामिल किया गया।

➤ 60 प्रतिशत महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी थीं (कुल 180 ग्रामीण महिलाएँ)।

➤ 25 प्रतिशत महिलाएँ डीएवाई-एनआरएलएम या मुद्रा योजना की लाभार्थी थीं (कुल 75 ग्रामीण महिलाएँ)।

➤ शेष 15 प्रतिशत महिलाएँ किसी सरकारी योजना से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी नहीं थीं (तुलनात्मक समूह के रूप में) (कुल 45 ग्रामीण महिलाएँ)।

**सैपलिंग तकनीक:** यादृच्छिक और उद्देश्यपूर्ण दोनों का संयोजन।

### (ग) डेटा संग्रहण विधि

➤ **प्राथमिक :** संरचित प्रश्नावली (165 प्रश्न), गहन साक्षात्कार (50 महिलाएँ), फोकस ग्रुप चर्चा (6 समूह, 10–12 सदस्य प्रत्येक)।

➤ **द्वितीयक :** डीआरडीए, यूपीएसआरएलएम रिपोर्ट्स, एनआरएलएम पोर्टल, नाबार्ड, राज्य फोकस पेपर 2023–24, एवं 2024–25 राज्य प्रदर्शन रिपोर्ट।

➤ **नवीन स्रोत :** सोशल मीडिया (X / Twitter) पर स्थानीय एसएचजी गतिविधियाँ (जुलाई 2025, सिंघीरामपुर केस) एवं यूट्यूब/फेसबुक वीडियो सफलता कथाएँ।

### डेटा विश्लेषण

डेटा का विश्लेषण एसपीएसएस सॉफ्टवेयर से किया गया, जिसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्रॉस-टेबुलेशन एवं कार्ड-स्क्वायर टेस्ट शामिल हैं। 2024–25 राज्य डेटा को जिला-स्तरीय निष्कर्षों से जोड़ा गया।

### ➤ महिलाओं की आय में परिवर्तन

श्रेणी	योजना से पहले औसत मासिक आय	योजना से पहले औसत मासिक आय	वृद्धि
एसएचजी सदस्य महिलाएँ	₹ 3200.00	₹ 7800.00	143%
मुद्रा योजना लाभार्थी	₹ 4100.00	₹ 9200.00	124%
गैर-लाभार्थी महिलाएँ	₹ 3500.00	₹ 4200.00	20%

क्षेत्र अध्ययन में स्पष्ट रूप से देखा गया कि जो महिलाएँ स्वयं सहायता समूह या सरकारी योजनाओं से जुड़ी हैं, उनकी आय में लगभग 120–140 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई। इसका मुख्य कारण व्यवसाय विस्तार, सामूहिक निवेश, और बाज़ार तक पहुँच में सुधार रहा है।

### ➤ वित्तीय साक्षरता एवं बैंकिंग पहुँच

क्षेत्र अध्ययन में पाया गया कि :

- 87 प्रतिशत महिलाओं के पास स्वयं का बैंक खाता है, जबकि योजना शुरू होने से पहले यह अनुपात मात्र 42 प्रतिशत था,
- 68 प्रतिशत महिलाएँ डिजिटल भुगतान (यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग आदि) का उपयोग करती हैं तथा
- 54 प्रतिशत महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों से लोन लेकर स्वरोजगार प्रारंभ किया।

स्पष्ट है कि डीएवाई-एनआरएलएम और जन-धन योजना ने ग्रामीण महिलाओं की वित्तीय पहुँच में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। बैंक-लिंग के कारण महिलाओं में वित्तीय अनुशासन और आत्मविश्वास दोनों बढ़े हैं।

### ➤ उद्यमिता और स्वरोजगार

फर्रुखाबाद की महिलाएँ पारंपरिक कृषि कार्यों से आगे बढ़कर अब सूक्ष्म उद्यमों में भी सक्रिय हैं, जैसे—अगरबत्ती निर्माण, हैंडलूम कार्य, दूध उत्पाद प्रसंस्करण, घरेलू खाद्य उत्पाद (पापड़, अचार, मुरब्बा आदि), हस्तशिल्प और जूट बैग निर्माण आदि। अध्ययन में पाया गया कि 300 महिलाओं में से 172 महिलाएँ किसी न किसी स्वरोजगार गतिविधि में संलग्न हैं।

### ➤ निर्णय लेने की क्षमता में परिवर्तन

अध्ययन में यह पाया कि:

- 74 प्रतिशत महिलाएँ अब परिवार की आर्थिक योजना (खर्च, बचत, निवेश) में राय देती हैं।
- 61 प्रतिशत महिलाएँ बच्चों की शिक्षा, विवाह और कृषि निवेश से जुड़े निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।
- 42 प्रतिशत महिलाएँ ग्राम पंचायत बैठकों में भाग लेती हैं, जिनमें से 15 प्रतिशत ने स्वयं सार्वजनिक मुद्दों पर वक्तव्य दिया।

स्पष्ट रूप से यह आँकड़े दर्शाते हैं कि आर्थिक सशक्तिकरण ने महिलाओं की सामाजिक भागीदारी को भी सुदृढ़ किया है। आत्मनिर्भर महिला अब केवल परिवार की सहायक नहीं, बल्कि निर्णय निर्माता बन रही है।

### ➤ सामाजिक व मानसिक परिवर्तन

फर्रुखाबाद की ग्रामीण महिलाओं में आत्मविश्वास, सामूहिकता की भावना, और सामाजिक नेतृत्व की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से उभरी है। साक्षात्कार के दौरान कई महिलाओं ने कहा कि "पहले हम घर तक सीमित थे, अब गाँव की बैठक में अपनी बात कहने में डर नहीं लगता।" महिला समूहों के माध्यम से सामाजिक विषयों/कृषि जैसे बाल विवाह, शिक्षा, स्वच्छता, और नशा मुक्ति पर भी सामूहिक पहलें की गईं।

### ➤ तकनीकी एवं डिजिटल सशक्तिकरण

डीएवाई—एनआरएलएम और पीएमजीडीआईएसएचए के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं ने मोबाइल आधारित व्यवसाय, डिजिटल मार्केटिंग, और ऑनलाइन भुगतान की दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। लगभग 50 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि वे "गूगल पे", "फोन पे" या "पेटियम" जैसी ऐप का प्रयोग करती हैं, जबकि 2017 में यह प्रतिशत 10 प्रतिशत से भी कम था। यह परिवर्तन दर्शाता है कि डिजिटल साक्षरता ने ग्रामीण महिला सशक्तिकरण में नई ऊर्जा का संचार किया है।

### ➤ SWOT विश्लेषण (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)

तत्व	विवरण
सशक्त पक्ष (Strength)	एसएचजी की मजबूत नेटवर्किंग, सरकारी योजनाओं की पहुँच, महिलाओं का आत्मविश्वास, सामूहिक निर्णय प्रणाली।
कमजोर पक्ष (Weakness)	बाज़ार तक सीमित पहुँच, तकनीकी जानकारी का अभाव, उत्पाद ब्रांडिंग में कमी।
अवसर (Opportunity)	डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिक्री, ई-कॉमर्स, कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों में सहभागिता।

खतरे (Threat)	ऋण चुकौती में कठिनाई, मध्यस्थों का दखल, नीति क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार, और सामाजिक रूढ़ियाँ।
------------------	---

## विकसित भारत @2047 की दृष्टि में फर्रुखाबाद का योगदान

फर्रुखाबाद जैसे जनपदों की महिलाएँ "विकसित भारत" का सामाजिक-आर्थिक आधार स्तंभ बन सकती हैं, क्योंकि यहाँ की महिलाएँ कृषि से लेकर सूक्ष्म उद्योग तक में अपनी भूमिका सशक्त रूप से निभा रही हैं। यदि इन महिलाओं को तकनीकी सहयोग, ब्रांडिंग सहायता, और बाज़ार सुविधा मिले तो वे स्थानीय अर्थव्यवस्था को तेज़ी से आत्मनिर्भर बना सकती हैं। इस प्रकार, ग्रामीण महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक नीति नहीं, बल्कि "विकसित भारत 2047" की आर्थिक रणनीति का अभिन्न हिस्सा है। फर्रुखाबाद जनपद के अध्ययन से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि—

- सरकारी योजनाओं का महिला सशक्तिकरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और डिजिटल भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- ग्रामीण महिलाएँ अब नीति की 'लाभार्थी' नहीं, बल्कि 'परिवर्तन की वाहक' बन चुकी हैं।

हालाँकि, शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और बाज़ार तक पहुँच जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। यदि इन क्षेत्रों में सुधार लाया जाए, तो ग्रामीण महिलाएँ 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं।

### चतुर्थ भाग

#### सुझाव एवं समापन

#### सुझाव

ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण केवल किसी योजना का उद्देश्य नहीं, बल्कि एक समग्र सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जब तक ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ आत्मनिर्भर और सशक्त नहीं होंगी, तब तक "विकसित भारत @2047" का सपना अधूरा रहेगा।

फर्रुखाबाद जनपद के अध्ययन ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब महिलाओं को अवसर, संसाधन, प्रशिक्षण और सामाजिक सहयोग मिलता है, तो वे न केवल अपनी आर्थिक स्थिति बदलती हैं, बल्कि पूरे समाज में सकारात्मक परिवर्तन का वाहक बन जाती हैं। इसके लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं—

- प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर "महिला उद्यमिता विकास केंद्र" की स्थापना की जाए, जहाँ वित्तीय साक्षरता, व्यवसाय प्रबंधन और डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण दिया जाए।
- सरकार व निजी क्षेत्र मिलकर एसएचजी उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और ऑनलाइन बिक्री को बढ़ावा दें। "वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट" की तर्ज पर महिला समूहों के उत्पादों को पहचान दिलाई जाए।
- महिलाओं को छोटे, ब्याज-मुक्त या कम ब्याज वाले ऋण शीघ्र उपलब्ध कराए जाएँ, ताकि वे आत्मनिर्भर व्यवसाय आरंभ कर सकें।
- ग्राम पंचायत योजनाओं में महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए, और उन्हें आर्थिक बजट निर्धारण में सम्मिलित किया जाए।
- सरकारी योजनाओं का एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जहाँ महिलाएँ आवेदन, प्रशिक्षण, और बाज़ार से जुड़ सकें।

➤ ग्रामीण समाज में पुरुषों और परिवार के सदस्यों को महिला सशक्तिकरण के महत्व से अवगत कराया जाए। "Gender Sensitization Programs" को विद्यालय और ग्राम पंचायत स्तर पर अनिवार्य बनाया जाए।

➤ हर जिले में महिला सशक्तिकरण से संबंधित नीतियों की निगरानी के लिए "Gender Development Cell" स्थापित हो, जो निरंतर मूल्यांकन करे।

➤ एसएचजी आधारित सूक्ष्म-वित्त मॉडल को राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकिंग नेटवर्क से जोड़ा जाए।

➤ ग्रामीण लड़कियों के लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए।

➤ महिला-नेतृत्व वाले सहकारी संस्थानों को कर-छूट और सरकारी अनुबंध में प्राथमिकता मिले।

➤ जिला स्तर पर "महिला आर्थिक मिशन सेल" का गठन हो, जो योजनाओं का समन्वयन करे।

➤ डिजिटल प्रशिक्षण केंद्रों को पंचायत स्तर तक ले जाया जाए।

**समापन—** अंत में, ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण केवल किसी योजना का उद्देश्य नहीं, बल्कि एक समग्र सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जब तक ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ आत्मनिर्भर और सशक्त नहीं होंगी, तब तक "विकसित भारत @2047" का सपना अधूरा रहेगा।

भारत के ग्रामीण परिदृश्य में महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य मात्र रोजगार सृजन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे "मानवीय विकास सूचकांक" के मुख्य घटक के रूप में देखा जाना चाहिए। जब ग्रामीण महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगी, तो वह शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। इसलिए, 2047 तक के भारत की परिकल्पना एक ऐसी होनी चाहिए जहाँ "हर गाँव में कम-से-कम 10 महिला उद्यमी, हर पंचायत में महिला डिजिटल सलाहकार, और हर जिले में महिला सहकारी उद्योग केंद्र हो।"

फर्रुखाबाद जनपद के अनुभव इस बात का साक्ष्य हैं कि ग्रामीण महिलाओं की शक्ति, जब नीति और समाज दोनों का सहयोग पाती है, तो वह राष्ट्र-निर्माण की दिशा को बदल सकती है। विकसित भारत 2047 की दिशा में आगे बढ़ते हुए हमें यह समझना होगा कि— "महिला सशक्तिकरण विकास का परिणाम नहीं, बल्कि विकास की शर्त है।" यदि ग्रामीण भारत की हर महिला को अवसर, शिक्षा, वित्तीय पहुँच, और सामाजिक स्वीकृति मिलती है, तो भारत न केवल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, बल्कि एक समान, न्यायसंगत और आत्मनिर्भर सभ्यता का आदर्श भी प्रस्तुत करेगा।

<sup>i</sup> Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press.

<sup>ii</sup> World Bank. (2018). *Women and Rural Economy in South Asia: Empowering Women for Shared Prosperity*. Washington, DC: The World Bank Group.

<sup>iii</sup> National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). (2020). *SHG-Bank Linkage Programme and Rural Empowerment: Annual Report 2019-20*. Mumbai: NABARD Publications

<sup>iv</sup> Mishra, R., & Singh, P. (2019). Role of Deendayal Antyodaya Yojana in Rural Women Empowerment: A Study of Uttar Pradesh. *Indian Journal of Rural Studies*, 28(3), 45-58.

<sup>v</sup> United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Gender Equality and Sustainable Livelihoods: A Global Overview*. New York: UNDP Publications.

<sup>vi</sup> Sharma, P., & Verma, K. (2021). Impact of Self-Help Groups on Women's Economic Empowerment in Rural India. *Journal of Rural Development Studies*, 37(4), 45-59.

<sup>vii</sup> NITI Aayog. (2022). *Women Empowerment and Inclusive Growth: Policy Perspectives for India @2047*. New Delhi: Government of India.

<sup>viii</sup> <https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/eschapter/hechap11.pdf>

ix <https://www.globaldata.com/data-insights/macroeconomic/female-literacy-rate-in-india/#:~:text=%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BE%20%E0%A4%A6%E0%A4%B0%20%E0%A4%85%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A4%A8,%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82%200.6%25%20%E0%A4%95%E0%A5%80%20%E0%A4%B5%E0%A5%83%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%BF%20%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%88%E0%A5%A4>

## संदर्भ ग्रन्थ—

1. Government of India, Ministry of Rural Development. (2023). *Annual Report of Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihood Mission (DAY–NRLM)*. New Delhi: Government of India.
2. NITI Aayog. (2022). *Women Empowerment and Inclusive Development: A Policy Perspective*. New Delhi: Government of India.
3. World Bank. (2021). *Rural Livelihood and Gender Report: Empowering Women in Rural Economies*. Washington, DC: The World Bank Group.
4. Uttar Pradesh State Rural Livelihood Mission (UPSRLM). (2023). *District Farrukhabad Annual Progress Report (2022–23)*. Lucknow: Department of Rural Development, Government of Uttar Pradesh.
5. Singh, R. (2020). *Gramin Vikas aur Mahila Sashaktikaran [Rural Development and Women Empowerment]*. Lucknow: Awadh Prakashan.
6. Sharma, P., & Verma, K. (2021). *Impact of Self-Help Groups on Women's Economic Empowerment in Rural India*. *Journal of Rural Development Studies*, 37(4), 45–59.
7. United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Gender Equality and Sustainable Livelihoods: A Global Overview*. New York: UNDP Publications.
8. Ministry of Finance, Government of India. (2022). *Pradhan Mantri MUDRA Yojana: Empowering Small Entrepreneurs*. New Delhi: Department of Financial Services.
9. Pandey, S. (2019). *Rural Women and Digital Inclusion in India: Challenges and Prospects*. *Indian Journal of Social Science Research*, 14(2), 102–118.
10. World Economic Forum. (2023). *Global Gender Gap Report 2023*. Geneva: World Economic Forum.